प्रेस नोट थाना एमएम गेट जनपद आगरा। **दिनांक 21.07.2022**

थाना एमएम गेट पुलिस टीम द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए थाना क्षेत्र में ई–रिक्शा चोरी की घटनाओं को अन्जाम पहुंचाने वाले गैंग के 03 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 04 ई–रिक्शा सहित अन्य चोरी का सामान बरामद.....

दिनांक 19.07.2022 को वादी राजेन्द्र ने थाना एमएमगेट पर तहरीर दी कि दिनांक 15.07.2022 को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे ई–रिक्शा चालक को खेरिया मोड़ से किराये का सामान लाने के लिये0 हनुमान तिराहा एमएम गेट लाया गया तथा ई–रिक्शा गली के बाहर खड़ा करवाकर मुझे सामान उठवाने के बहाने ले जाकर एक बन्द दुकान में बैठा दिया तथा दुकान की चाबी लेकर आने की बोल कर चला गया । अज्ञात व्यक्ति के द्वारा दुकान पर न आने पर चालक द्वारा वहाँ से जाने पर जाने ई–रिक्शा नियत स्थान पर न मिलने पर धोखाधड़ी से चोरी के सम्बन्ध में तहरीर दी। उक्त सम्बन्ध में थाना एमएम गेट पर मु0अ0सं0 0061/2022 धारा 379/420 भादवि पंजीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य चारी की घटनाऐं भी सामने आयीं।

उपरोक्त चोरी की घटनाओं के सफल अनावरण एवं संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में, क्षेत्राधिकारी कोतवाली के सफल पर्यवेक्षण में थाना एमएम गेट को टीम गठित करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में दिनांक 20.07.2022 को थाना एमएम गेट पुलिस द्वारा मोती कटरा पर चौकिंग/गश्त की जा रही थी। इस दौरान 02 व्यक्ति बिना सवारी के दो ई–रिक्शा लेकर आ रहे थे। पुलिस टीम को चैकिंग करता देख सकपका गये और ई–रिक्शा पीछे मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम को शक होने पर रूकने हेतु आवाज दी गयी किन्तु हड़बड़ाहट के साथ भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा चारों ओर से घेरकर दोनों ई–रिक्शा चालकों को पकड़ लिया गया।

पूछताछ का विवरण :–

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करते हुये भागने का कारण पूछा तो अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि दोनों ई–रिक्शा चोरी के हैं व हम आगरा व आस–पास के जनपदों से ई–रिक्शा चोरी करते हैं। चोरी के रिक्शों को हम सलमान को बेच देते हैं। सलमान व जीशान ई–रिक्शा गाड़ियों को खुर्द–बुर्द कर कुछ सामान बेच देते हैं व सामान को एक–दूसरे ई–रिक्शा में बदलकर पेंट करके ग्राहकों को बेच देते हैं।

बरामद ई–रिक्शा के सम्बन्ध में फुरकान द्वारा बताया गया कि यह ई0 रिक्शा हम लोगो ने करीब 1 माह 15 दिन पहले बृजभोग मिठाई की दुकान मोती कटरा के पास से चोरी किया था। हम लोग पहचान छिपाने के लिए नम्बर प्लेट व चैसिस नम्बर हटा देते हैं। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ इस सम्बन्ध में थाना एमएम गेट पर मुकदमा अपराध संख्या 51/2022 धारा 379 भादवि पंजीकृत है।

बरामद 5000 रूपये के सम्बन्ध में बताया गया कि यह रूपये करीब 3 माह 15 दिन पहले एक लाल रंग का ई0 रिक्शा इलाहाबाद बैंक मोती कटरा से चोरी किया था उसको बेचने से मेरे हिस्से में आये रूपयो मे से बचे हुए 2000 रूपये हैं तथा रूपया 3000 एक ई0 रिक्शा, जो करीब 20–25 दिन पहले मूत गली हींग की मण्डी से चोरी किया था के रूपये है तथा अन्य ई0 रिक्शा को खुर्द बुर्द कर बेचने से मेरे हिस्से मे आये रूपयो मे से बचे रूपये है शेष रूपये मैने खर्च कर दिये। इस सम्बन्ध में थाना एमएम गेट पर मुकदमा अपराध संख्या 26/2022 धारा 379 भादवि एवं मूत गली हींग की मण्डी की घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली में मु0अ0सं0 41/2022 धारा 379 भादवि थाना पंजीकृत है।

बरामद दूसरे ई–रिक्शा के सम्बन्ध में अभियुकत अनस द्वारा बताया गया कि यह ई0रिक्शा भी चोरी का है परन्तु कहाँ से चुराया है, याद नही है उक्त ई0 रिक्शा पर कोई भी नम्बर प्लेट नही है तथा चैसिस नम्बर को खुद बुर्द कर पैंट कर दिया गया है। तलाशी से में बरामद रूपया 4000 के बारे मे बताया कि इन रूपयो मे से 2000 रूपये करीब 1 माह 15 दिन पहले आसमानी रंग का ई0रिक्शा इलाहाबाद बैंक मोती कटरा से चोरी किया था, उसी के रूपये है, तथा शेष बचे रूपये 2000 करीब 20–25 दिन पहले मूत गली हींग की मण्डी से नीले रंग का ई0 रिक्शा चोरी किया था उसी को बैचने से मिले थे। हिस्से मे आये रूपयो मे से 4000 रूपये ही बचे थे तथा अन्य ई0 रिक्शा को खुर्द बुर्द कर बेचने से मेरे हिस्से मे आये रूपयो मे से बचे रूपये है शेष रूपये मैने खर्च कर दिये है। इस सम्बन्ध में थाना हरीर्वत पर मु0अ0सं0 51/2022 धारा 379 भादवि पंजीकृत है।

दोनो अभियुक्तो द्वारा अभियुक्त जीशान के बारे मे पूछा गया तो बताया कि जीशान सलमान की गैराज अजमेरी गेट आकाश वाणी रोड फिरोजाबाद पर मिलेगा उक्त गैराज को हम लोगो द्वारा चोरी की गयीं ई0 रिक्शा व ई0 रिक्शा के पाट्र्स तथा ई0 रिक्शा को जोडने तोडने काटने आदि के औजार भी मिलेगें।

अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी :–

अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताये स्थान पर पहुंची, जहां सलमान व जीशान दिखायी दिये। पुलिस टीम को देख अभियुक्तगण सकपका गये। पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तारी हेतु चारों ओर से घेरघोट की गयी, जिसमें एक अभियुक्त जीशान को गिरफ्तार कर लिया गया एवं अभियुक्त सलमान दीवार फांदकर फरार होने में सफल रहा। अभियुक्तगण के कब्जे 02 अदद ई रिक्शा, 01 ई रिक्शा लोडर, 03 अदद चैसिस पहिया सहित, ई रिक्शा की अगली सीट की बॉडी, जिसमें कन्ट्रोलर रखा हुआ एवं कटे पिटे पीस, 04 ई रिक्शा की बैटरियां व ई रिक्शा को काटने जोड़ने के औजार, रू0 16,000/– बरामद हुआ।

अभियुक्तगण का नाम :–

01. नाम फुरकान पुत्र युनूस निवासी घेर काले खाँ नाई की मण्डी थाना नाई की मण्डी जनपद आगरा।
02. नाम अनस पुत्र मौहम्मद इकबाल निवासी सै0 14 करकुँज थाना सिकन्दरा आगरा।
03. जीशान पुत्र गुड्डू सिराज खान निवासी 12 बीघा काली टंकी के पास पंचू का किराये का मकान थाना रामगढ जनपद फिरोजाबाद उम्र करीब 30 वर्ष स्थाई पता इस्लाम नगर टेडी बगिया थाना एत्माउद्दौला जनपद आगरा।

फरार अभियुक्त का विवरण :–

01. सलमान पुत्र रियाज उल हसन निवासी गली नं0 02 नगला कोठी थाना रामगढ जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी का विवरण :–

01. 04 अदद ई–रिक्शा।
02. 01 ई रिक्शा लोडर, 03 अदद चैसिस पहिया सहित।
03. ई रिक्शा की अगली सीट की बॉडी, जिसमें कन्ट्रोलर रखा हुआ।
04. कटे पिटे पीस।
05. 04 ई रिक्शा की बैटरियां।
06. ई रिक्शा को काटने जोड़ने के औजार।
07. रू0 16,000/–

आपराधिक इतिहास का विवरण :–

अभियुक्त जीशान

मु0अ0सं0 57/22 धारा 420/379 भादवि थाना एमएम गेट जनपद आगरा।
मु0अ0सं0 61/22 धारा 379/420 भादवि थाना एमएम गेट जनपद आगरा।
मु0अ0सं0 51/22 धारा 407 भादवि थाना एमएम गेट जनपद आगरा।
मु0अ0सं0 47/22 धारा 379 भादवि थाना एमएम गेट जनपद आगरा।
मु0अ0सं0 26/22 धारा 407 भादवि थाना एमएम गेट जनपद आगरा।
मु0अ0सं0 63/22 धारा 411/414 भादवि थाना एमएम गेट जनपद आगरा।
मु0अ0सं0 41/2022 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली जनपद आगरा।
मु0अ0सं0 105/18 धारा 328/379/411 भादवि थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
मु0अ0सं0 1061/18 धारा 392/411 भादवि थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
मु0अ0सं0 17/19 धारा 394/411 भादवि थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
मु0अ0सं0 67/19 धारा 411/414 भादवि व 41/102 सीआरपीसी व 3(डी) एक्ट थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
मु0अ0सं0 230/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
मु0अ0सं0 525/19 धारा 147/148/323/504/307/336 भादवि थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।

अभियुक्त अनस

मु0अ0सं0 57/22 धारा 420/379 भादवि थाना एमएम गेट जनपद आगरा।
मु0अ0सं0 61/22 धारा 379/420 भादवि थाना एमएम गेट जनपद आगरा।
मु0अ0सं0 51/22 धारा 407 भादवि थाना एमएम गेट जनपद आगरा।
मु0अ0सं0 47/22 धारा 379 भादवि थाना एमएम गेट जनपद आगरा।
मु0अ0सं0 26/22 धारा 407 भादवि थाना एमएम गेट जनपद आगरा।
मु0अ0सं0 63/22 धारा 411/414 भादवि थाना एमएम गेट जनपद आगरा।
मु0अ0सं0 41/2022 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली जनपद आगरा।
मु0अ0सं0 107/21 धारा 392/411 भादवि थाना न्यू आगरा जनपद आगरा।
मु0अ0सं0 82/18 धारा 302/201/34 भादवि थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।

अभियुक्त फुरकान

मु0अ0सं0 57/22 धारा 420/379 भादवि थाना एमएम गेट जनपद आगरा।
मु0अ0सं0 61/22 धारा 379/420 भादवि थाना एमएम गेट जनपद आगरा।
मु0अ0सं0 51/22 धारा 407 भादवि थाना एमएम गेट जनपद आगरा।
मु0अ0सं0 47/22 धारा 379 भादवि थाना एमएम गेट जनपद आगरा।
मु0अ0सं0 26/22 धारा 407 भादवि थाना एमएम गेट जनपद आगरा।
मु0अ0सं0 63/22 धारा 411/414 भादवि थाना एमएम गेट जनपद आगरा।
मु0अ0सं0 41/2022 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली जनपद आगरा।
मु0अ0सं0 44/18 धारा 392/411 भादवि थाना एमएम गेट जनपद आगरा।
मु0अ0सं0 214/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सदर बाजार जनपद आगरा।
मु0अ0सं0 1007/18 धारा 401/411/414 भादवि 3(15) डकैती एक्ट थाना सदर बाजार जनपद आगरा।

पुलिस टीम का विवरण :–

01. प्रभारी निरीक्षक श्री अवधेश अवस्थी थाना एमएम गेट जनपद आगरा।
02. व0उ0नि0 अनिल कुमार थाना एमएम गेट जनपद आगरा।
03. उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना एमएम गेट जनपद आगरा।
04. उ0नि0 सचिन धामा प्रभारी सर्विलांस मय टीम जनपद आगरा।
05. उ0नि0 श्री विमल कुमार थाना कोतवाली जनपद आगरा।
06. का0 3043 विनय कुमार, का0 28 विकास कुमार व का0 3710 राहुल व का0 4890 जितेन्द्र कुमार व का0 4348 विनीत कुमार व का0 3653 अनिल कुमार व म0का0 2045 रविता चौधरी थाना एमएम गेट जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।